2020/00220

2020/00219

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुंदरसिंह गोयल जाति राजपूत निवासी नयावास नं. 2 सिरोही जिला सिरोही		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी खनिज अभियंता सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 21 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी खनिज अभियंता सिरोही को दिनॉक 01.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिले में संचालित कुल माइनिंग की सूची व उनमें कार्यरत कार्मिकों की संख्या व उनको मिलने वाले वेतन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी खनिज अभियंता सिरोही को दिनॉक 01.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिले में संचालित कुल माइनिंग की सूची व उनमें कार्यरत कार्मिकों की संख्या व उनको मिलने वाले वेतन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। खनिज अभियंता खनिज विभाग सिरोही के अपीलांट अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	543-44 13/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:47:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner